

बिहार, सरकार।
स्वास्थ्य विभाग
संचिका संख्य-9 विविध-13-30/2017
अधिसूचना

राज्य के अस्पतालों में चिकित्सा पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को 24 X 7 सेवा के सुचारु संचालन हेतु उपस्थित सुनिश्चित करने के लिए दूरभाष द्वारा अनुश्रवण के क्रम में कुल 15 चिकित्सा पदाधिकारी अनुपस्थित पाये गये थे। सभी चिकित्सा पदाधिकारियों से विभागीय पत्रांक- 926(9) दिनांक- 30.08.2017 एवं स्मार पत्र- 1027(9) दिनांक- 05.10.2017 के द्वारा स्पष्टीकरण की माँग की गई थी जिसमें मात्र 8 चिकित्सा पदाधिकारियों द्वारा स्पष्टीकरण का जवाब दिया गया।

8 चिकित्सा पदाधिकारियों में मात्र 5 चिकित्सा पदाधिकारी डा0 पुनम मिश्रा, चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमण्डलीय अस्पताल, कहलगांव, भागलपुर(03.08.2017 प्रथम पाली), डा0 वहाबुद्दीन, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, मुंगेर(09.08.2017 प्रथम पाली), डा0 राज कुमार मंडल, चिकित्सा पदाधिकारी, पी0एच0सी0, धरहरा, मुंगेर(09.08.2017 प्रथम पाली), डा0 मो0 मुस्लिम अन्सारी, चिकित्सा पदाधिकारी, पी0एच0सी0, सिधिया, समस्तीपुर(02.08.2017 प्रथम पाली), डा0 गणेश पंजीयार, चिकित्सा पदाधिकारी, पी0एच0सी0, शिवाजी नगर, समस्तीपुर(24.08.2017 द्वितीय पाली), का स्पष्टीकरण संतोषजनक पाया गया। शेष का स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया गया है।

7 चिकित्सा पदाधिकारियों द्वारा कोई भी स्पष्टीकरण का उत्तर समर्पित नहीं किया गया है। इन्हे अपना प्रतिउत्तर समर्पित करने के लिए स्मारित भी किया गया लेकिन उनसे कोई भी प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हो सका। इससे प्रतीत होता है कि उन्हे अपने बचाव बयान में कुछ नहीं कहना है, डा0 महावीर प्रसाद गुप्ता, चिकित्सा पदाधिकारी, पी0एच0सी0, केसठ, बक्सर के ऊपर अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण इनके उपर विभागीय कारवाई चल रही है। अतः अनुश्रवण के दौरान अद्योउल्लेखित अनुपस्थित पाये गये चिकित्सा पदाधिकारियों के विरुद्ध निम्नलिखित लघु दंड अधिरोपित करने का सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्णय लिया गया है :-

- (1) असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक
- (2) अनुपस्थिति तिथि (एक दिन) के वेतन के निकासी पर रोक (लेकिन यह सेवा में टूट नहीं मानी जायेगी)।

क्र0	नाम/पदनाम	अनुपस्थित होने की तिथि/पाली	संस्थान का नाम
1	डा0 बन्दना कुमारी, चिकित्सा पदाधिकारी	07.08.2017 / प्रथम पाली	अनुमण्डलीय अस्पताल, हिलसा, नालन्दा
2	डा0 अनिल कुमार भारती, चिकित्सा पदाधिकारी	07.08.2017 / प्रथम पाली	अनुमण्डलीय अस्पताल, हिलसा, नालन्दा
3	डा0 ललित कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी	02.08.2017 / प्रथम पाली	पी0एच0सी0, बिथान, समस्तीपुर

4	डा० शहनवाज, चिकित्सा पदाधिकारी	07.08.2017 / द्वितीय पाली	पी०एच०सी०, बायसी, पूर्णिया
5	डा० माधवी, चिकित्सा पदाधिकारी	07.08.2017 / प्रथम पाली	पी०एच०सी०, बेन, नालन्दा
6	डा० सबा करीम, चिकित्सा पदाधिकारी	07.08.2017 / प्रथम पाली	पी०एच०सी०, बेन, नालन्दा
7	डा० राज किशोर प्रसाद, चिकित्सा पदाधिकारी	09.08.2017 / प्रथम पाली	पी०एच०सी०, सौरबाजार, सहरसा
8	डा० शकुन्तला कुमारी, चिकित्सा पदाधिकारी	10.08.2017 / द्वितीय पाली	रेफरल अस्पताल, लालगंज, वैशाली
9	डा० अर्चना सिंह, चिकित्सा पदाधिकारी	28.08.2017 / प्रथम पाली	सदर अस्पताल, अरवल

उपरोक्त सभी चिकित्सा पदाधिकारियों को दंड अधिरोपित किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/—

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक— 303(9)

/स्वा० पटना, दिनांक— 28-03-2018

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले०ए०ह०) बिहार पटना / अवर सचिव, वित्त (वै०दा०नि०को०)

विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- संबंधित कोषागार पदाधिकारी भागलपुर, मुंगेर, समस्तीपुर, बक्सर, नालन्दा, पूर्णिया, सहरसा, वैशाली, अरवल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सिविल सर्जन भागलपुर, मुंगेर, समस्तीपुर, बक्सर, नालन्दा, पूर्णिया, सहरसा, वैशाली, अरवल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकारी भागलपुर, मुंगेर, समस्तीपुर, बक्सर, नालन्दा, पूर्णिया, सहरसा, वैशाली, अरवल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सभी संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री (स्वास्थ्य) के आप्त सचिव / प्रधान सचिव, स्वा० के निजी सहायक / निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार पटना / प्रशाखा पदाधिकारी— 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 17 एवं 18 (प्र० कोषांग) स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई० टी० मैनेजर स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना को विभागीय बेबसाइड पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव